

क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु)
REGIONAL OFFICE (TAMILNADU)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
143, स्टर्लिंग रोड, चेन्नै-600 034.
143, STERLING ROAD, CHENNAI-600 034.

दूरभाष Phone : 28306300 (100 lines)

फैक्स Fax : 28238559

ई मेल Email : rd-tamilnadu@esic.nic.in

आई एस ओ 9001:2008 प्रमाणित
(ISO 9001:2008 Certified)

वेबसाइट Website: www.esichennai.org

सं.No. 51-A-22 (15) सहा. ASST./06/प्रशासन Admn-I

Date दिनांक: 22-7-2011

वर्ष 2011 का कार्यालय आदेश सं.229 (ई) OFFICE ORDER No. 229 (E) OF 2011

अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक ने निम्नलिखित सहायकों के स्थानांतरण तथा निम्नलिखित प्रवर श्रेणी लिपिकों के प्रधान लिपिक/सहायक के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति का आदेश दिया है।

Additional Commissioner & Regional Director has ordered the following posting of Assistants and promotion of following UDCs to the post of Head clerk/Assistant on adhoc basis.

Sl. No	Name of the Official S/Shri/Smt/Kum	Present place of posting	Place now ordered
1.	G. Lakshmi Narayanan, (2733), UDC	SRO, Coimbatore	HC/Asst., SRO, Coimbatore
2.	Rachel Kamalini Moses, (2749), UDC	Legal Branch	HC/Asst., Legal Branch
3.	Rukmani Chandrasekaran, (2744),UDC	BO, Avadi	HC/Asst., Insurance V Branch
4.	B. Munirathnam, (2734),UDC	SRO, Coimbatore	HC/Asst. SRO, Coimbatore
5.	Jejustin Kumar, (2772),UDC	F & A	HC/Asst., F & A II Branch
6.	Y. Sriram, (2767),UDC	Benefits Branch	HC/Asst., Benefits Branch
7.	G. Sampath, (2775),UDC	Insurance VIII Branch	HC/Asst. Insurance VIII Branch

2. उपर्युक्त उल्लिखित क्रम के कर्मचारियों की पदोन्नति पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर उनके वरिष्ठों के अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के की गई है तथा उनके सहायक के पद पर कर्तव्य संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। उन्हें नियमित पदधारियों की उपलब्धता पर अथवा बिना कोई सूचना दिए या कारण बताए किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। यह तदर्थ पदोन्नति उन्हें वरिष्ठता या नियमित पदोन्नति उन्हें वरिष्ठता या नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

Promotion of the above mentioned officials are purely on adhoc basis without prejudice to the right of their seniors and shall take effect from the date on which they assume charge of the post of Asst. at the place of posting now ordered. They are liable to be reverted at any time on availability of regular incumbents or without any notice or assigning any reason whatsoever. The adhoc promotions do not confer on them any right to seniority or for regular promotion.

3. ये कर्मचारी सेवा के अन्य सभी निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित होंगे जो कि क.रा.बी.निगम समय-समय पर संशोधित (कर्मचारी एवं सेवा शर्तों) विनियम, 1959 के अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों पर लागू होते हैं। ये कर्मचारी रु. 9300-34800 के पे ब्रेण्ड + 4200 ग्रेड पे में वेतन आहरित करेंगे।

They will be governed by such terms and conditions of services as are applicable to such employees under E.S.I.C (Staff & Conditions of Service) Regulation, 1959, as amended from time to time. These officials shall draw the pay in the scale of Rs. 9300-34800 + 4200 G.P.

4. किसी कर्मचारी द्वारा पदोन्नति को अस्वीकार करने की स्थिति में यह पदोन्नति उसके कनिष्ठों को दी जाएगी। परिणामस्वरूप पदोन्नति को अस्वीकार करने की तारीख से एक वर्ष तक पदोन्नति के लिए उनके बारे में विचार नहीं किया जाएगा तथा उस स्थिति में उनके कनिष्ठ कर्मचारी को उच्चतर वेतन एवं अन्य लाभ मिल सकते हैं जिनके लिए वरिष्ठ कार्मिक जिन्होंने पदोन्नति को अस्वीकार कर लिया है, भविष्य में किसी राहत के हकदार नहीं होंगे। पदोन्नति को अस्वीकार करने की लिखित रूप में सूचना प्रशासन शाखा को अंततः दिनांक तक दी जानी चाहिए।

In case of non acceptance of the promotions by any of the officials, the same would be offered to their juniors, and consequently he/she will not be considered for promotion for a period of one year from the date of the refusal and in that event such junior(s) may start drawing higher pay and other benefits to which the senior(s), who has refused promotion, will not be entitled to any relief in future. Non acceptance of promotion should be intimated in writing to Administration Branch **latest by 31-7-2011**

5. सभी संबंधितों को कार्यग्रहण / कार्यमुक्ति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

All officials shall submit relieving/joining/assumption reports as per orders to all concerned immediately.

उप निदेशक Dy. Director (Admn. प्रशासन)
कृते अपर आयुक्त एवं क्षे.नि. FOR ADDL. COMM. & R.D.

सेवा To

संबंधित कर्मचारी The Official(s) Concerned

चिकित्सा अधी., क.रा.बी.नि., के.के.नगर, चेन्नै Med. Supt., ESICH, K.K. Nagar, Chennai.

चिकित्सा अधी., क.रा.बी.नि., के.के.नगर, तिरुनेलवेली Med. Supt., ESICH, Tirunelveli.

व.रा.चि.आ., व.रा.चि.आ. का कार्यालय, क.रा.बी.नि., क्षे.नि. चेन्नै SSMC, SSMC's Office, ESIC, RO, Chennai

अपर आयुक्त, सतकेता, (द.मं.) क.रा.बी.नि., क्षे.का., चेन्नै AC Vig., (SZ), ESIC, RO, Chennai

अपर आयुक्त, उप क्षे.का., मदुरै AC, SRO, Madurai

निदेशक(वित्त), क्षे.का., चेन्नै Director (F), R.O. Chennai

निदेशक, उप क्षे.का., सेलम Director, SRO, Salem

निदेशक, उप क्षे.का., कोयम्बतूर Director, SRO, Coimbatore

सं.नि.(रा.)/सं.नि.(वि)/सं.नि.(वि.जॉ.)द मं./ सं.नि.(विधि), क्षे.का., चेन्नै

JD (R)/JD (F)/JD (DE) SZ/ JD (L), ESIC, RO, Chennai

सं.नि.(प्रभारी), उप क्षे.का., तिरुनेलवेली JD I/c, Tirunelveli

निजी सचिव, अपर आयुक्त एवं क्षे.नि., क्षे.का., चेन्नै PS to AC & RD, R.O., Chennai.

संबंधित शाखाधिकारी एवं शाखाएं, Concerned Br. Officers and Branches at R.O.

संबंधित शाखा कार्यालय, चेन्नै क्षेत्र Concerned Branch Offices at Chennai Region.

वित्त व लेखा I/II/III/रोकड़ शाखा(2 प्रतियां)/नि.व अनु. F & A I/II/III/Cash Br (2 copies)/C & M

ई.डी.पी. वेबसाइट में अपलोड करने के लिए EDP for uploading in the website

ए.सी.आर.सीट/जी.एस.एल.आई./सोसाइटी/का.आ. I/वै.फा/सं.सहा.-(वेतनवृद्धि)/प्रशासन/अतिरिक्त

APAR Seat/GSLI/Society/OO/PF/DA – (Increment) Admn II/Spare

हिंदी कक्ष Hindi Cell .